संख्या-08/2024/आई/811357/923-84-1-2024

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 02 दिसम्बर, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में विधिक माप विज्ञान विभाग के पुराने 01 वाहन के नीलामी के उपरान्त उसके स्थान पर 01 नये वाहन के प्रतिस्थान/क्रय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-250/निविमावि0-सा0वा0प0/2019, दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विधिक माप विज्ञान विभाग के एक (01) पुराने जीप वाहन के निष्प्रयोज्य /स्क्रैप/नीलामी के उपरान्त उसके प्रतिस्थापन पर विभागाध्यक्ष के रूप में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रयोगार्थ एक (01) नये Innova Crysta (G1,MT) पैकेज जी-एमटी,8एस (डीजल) का क्रय किये जाने हेतु भुगतान की अग्रिम स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 के पूँजी लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-04-विधिक माप विज्ञान विभाग में वाहनों का क्रय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" मद में उपलब्ध बजट प्रावधान के सापेक्ष रू0-20.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति निम्न लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग प्रश्नगत वाहन के उपयोग हेतु संचालन में अपरिहार्य /न्यूनतम व्यय के संबंध में स्वयं सुनिश्चित हो लेंगे।

(10) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग जेम (GEM) की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित करगें।

(11) क्रय किये जा रहे वाहन की दर व गुणवत्ता का दायित्व विधिक माप विज्ञान विभाग का होगा तथा क्रय किये जा रहे वाहन को जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया जायेगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-21 के अधीन प्रस्तर-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 सं0-ई-7-166-दस-2024-25, दिनांक 29-11-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

संख्या-08/2024/आई/811357/923-84-1-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in